

भारत सरकार/ Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy क्रय एवं भंडार निदेशालय/ Directorate of Purchase & Stores प्रिस (जी) सचिवालय/PRIS (G) Secretariat



विक्रम साराभाई भवन/V. S. Bhavan अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar मुंबई/Mumbai - 400 094 वेबसाइट/website:www.dps.gov.in

संNo. DPS/AO/27/2021/Vol.III/ 3589

दिनांक / Date: 06.06.2025

कार्यालय आदेश/Office Order

विषय

ः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अधीन दायित्वों के

कार्यान्वयन के लिए कार्य दल ।

Subject: Task Force for implementing the obligations under Section 4 Right to Information Act-2005

इस निदेशालय के दिनांक 21.08.2020 के कार्यालय आदेश सं. क्रभनि/प्रअ/27/2020(खंड—।।)/2528 को अधिक्रमण करते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 मे दिए गए दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए कार्य दल का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है / In supersession of this Directorate's Office Order No.DPS/AO/27/2020 (Vol.II)/2528 dated 21/08/2020, the Task Force for implementing the obligations set out in Section 4 of the Right to Information Act 2005 is re-constituted as follows:

	उप निदेशक (क्र&मं), केंद्रीय क्रय एकक एवं जन सूचना अधिकारी (क्रय)/	-	संयोजक
1	Deputy Director (P&S), Central Purchase Unit & Public Information Officer (Purchase)		Chairperson
2	प्रशासनिक अधिकारी-III, केंद्रीय प्रशासन एकक / Administrative Officer-III, Central Administration Unit	-	सदस्य Member
3	उप लेखा नियंत्रक, केंद्रीय लेखा एकक एवं जन सूचना अधिकारी (लेखा)/ Deputy Controller of Accounts, Central Accounts Unit and Public Information Officer (Accounts)	-	सदस्य Member
4	सहायक क्रय अधिकारी (अईटीएस), केंद्रीय क्रय एकक Assistant Purchase Officer (ITS), Central Purchase Unit	,	सदस्य Member
5	सहायक कार्मिक अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय प्रशासन एकक /Assistant Personnel Officer & Assistant Public Information Officer, Central Administration Unit		सदस्य सचिव Member Secretary

2. सिमिति समय—समय पर, संभवतः तीन महीने में एक बार बैठक करेगी और सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 4 के तहत क्रभिन वेबसाईट पर सूचना के स्वतः प्रकटीकरण के संबंध में सलाह और सुझाव देगी तथा उस अधिनियम के तहत अक्सर मांगी जाने वाली सूचनओं की पहचान भी करेगी ।

The Committee shall meet periodically, possibly once in three months and shall give advice and suggestions regarding suo-moto disclosure of information on DPS website under Section 4 of the RTI Act-2005 and also identify frequently sought information under this Act.

(वेद सिंह / Ved Singh) निदेशक, क्रय एवं भंडार/Director, P&S

सभी संबंधित अधिकारी / All concerned Officers